रेल सेवक (पास) नियम–1986
(Railway Employee Pass Rules – 1986)

1. भारतीय रेल पर लागू समस्त कल्याणकारी योजनाओं में से रेल कर्मचारियों को पास/पीटीओ जारी करना एक पुरानी व महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। रेल कर्मचारियों को पास/पीटीओ जारी करना मुख्यतः रेल सेवक (पास) नियम–1986 द्वारा अधिशासित है। यह नियम निम्न को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों पर लागू है :–

(रेल सेवक (पास) नियम–1986 का नियम–01) [नियम–02]

i) प्रशिक्षता अधिनियम के अधीन लगाये गए किसी प्रशिक्षु पर,

ii) आकस्मिक रोजगार या दैनिक मजदूरी पर लगाए गए किसी व्यक्ति पर,

iii) इन नियमों के अधीन जारी पास व पीटीओ की सविधा के संबंध में सामान्य अथवा विशेष आदेशों तहत् रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी व्यक्ति पर।

2. परिभाषा : इन नियमों में जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो :–

(क) दत्तक बच्चा : से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसके गोद लेने के संतोषप्रद साक्ष्य हो, यह देखे बिना कि इस प्रकार गोद लिए बच्चे को संबंधित रेल कर्मचारी पर लागू व्यक्तिगत कानून के तहत गोद लिया गया हो या नहीं।

(ख) परिचारक : से आशय ऐसे व्यक्ति से है, जिसे किसी रेल कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत सेवा के लिए वेतन पर पूर्णकालिक नियोजित किया गया है।

(ग) आश्रित संबंधी : रेल कर्मचारी जिसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसके आश्रित संबंधी से आशय है :–

(i) मां जिसमें तलाकशुदा मां भी शामिल है,

(ii) अविवाहित अथवा विधवा बहिन,

(iii) भाई/सौतेला भाई जिसकी आयु 21 वर्ष से कम हो तथा वह रेल सेवक के साथ रहता हो तथा पूर्ण रूपेण रेल सेवक पर आश्रित हो,

(iv) किसी भी उम्र का अशक्त भाई,

(v) भाई जो 21वर्ष की उम्र पार कर चुका हो, किन्तु वह किसी पंजीकृत शैक्षिक संस्थान का नियमित विद्यार्थी हो,

(vi) कानूनी रूप से तलाकशुदा बहिन, [RBE-26/98]

विधवा सास, जब विधवा अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त हुई हो चाहे उसके पिता जिंदा हो या नहीं।[RBE-194/01]
किसी व्यक्ति को आश्रित संबंधी नहीं माना जाएगा यदि उसका/उसकी पेंशन, मंहगाई राहत इत्यादि सभी स्त्रोतों से आय रेल कर्मचारी के मासिक वेतन से 15% से अधिक हो अथवा 3500 रूपये की पेंशन पर पेंशनर/परिवार पेंशनर को देय मंहगाई राहत को 3500 रू0 में जोड़ने पर प्राप्त राशि अथवा वेतन का 15% + ग्रेड पे जो भी अधिक हो। [RBE-155/09, 132/2016]

उपर्युक्त क्रम सं. (iv) और (v) में दर्शाए गए आश्रित संबंधी को पास या पीटीओ केवल तभी जारी किया जायेगा जब वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से, जैसा भी मामला हो, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। [RBE-87/03]

पिता के 07 साल से लापना रहने की स्थिति में रेल सेवक को दिए जाने वाले पास/पीटीओ में आश्रित संबंधी को शामिल किया जा सकता है। समान परिस्थिति में बहिनों को भी पास/पीटीओ जारी किया जा सकता है। फिर भी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र जिसमें व्यक्ति के लापता होने की अवधि बताई गई हो, वह आवश्यक है।

(घ) "परिवार" में शामिल है :

(i) रेल सेवक का पति/पत्नि (Spouse) चाहे कमाते हो या नहीं,

(ii) रेल सेवक के पुत्र/पुत्रों जो 21 वर्ष की उम्र के नहीं हुए है तथा वे रेल सेवक पर पूर्णतः आश्रित है।

(iii) पुत्र/पुत्रों को जिन्होने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा वे :–

(क) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के नियमित विद्यार्थी हैं,
(ख) किसी अनुसंधान कार्य में लगे हो तथा कोई छात्रवृति/वृतिका नहीं ले रहे हो,
(ग) किसी मानद लेखाकार के अधीन आर्टिकल्ड क्लर्क के रूप में कार्यरत हो,
(घ) रेलवे डाक्टर द्वारा जारी निर्दिष्ट प्रमाण–पत्र के अनुसार अशक्त है।

(iv) किसी भी उम्र की अविवाहित पुत्री/पुत्रियां चाहे अर्जन करती हो या नहीं,
(v) विधवा पुत्रियां जो रेल कर्मचारी पर आश्रित हो, तथा
(vi) कानूनी रूप से तलाकशुदा पुत्रियां जो रेल सेवक पर आश्रित हो।

(च) संरक्षक : "संरक्षक" शब्द की यहां पर इसके कानूनी अर्थ में व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। इससे आशय एक प्रोढ़ आश्रित संबंधी अथवा परिवार का एक प्रोढ़ सदस्य, वेतन पर रखी गयी नर्स, अध्यापिका, अथवा परिचारक है। जब इनमें से कोई भी उपलब्ध नहीं हो तो संरक्षक के पक्ष में जारी किए जाने वाले पास को महाप्रबन्धक अपने निर्णय के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी दे सकते है।
(छ) वेतन : वेतन से आशय किसी रेल कर्मचारी द्वारा मासिक आहरित राशि से है जो :–
(i) मूल वेतन,
(ii) रनिंग कर्मचारियों के मामले में मूल वेतन+इस पर 30% अथवा समय–समय पर वेतन के रूप में घोषित मूल वेतन का कोई अन्य प्रतिशत,
(iii) कोई अन्य वेतन जिसे राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से वर्गीकृत किया गया हो।

3. पास के प्रकार :– [नियम–04]
रेल सेवक अथवा उसके परिवार के हकदार सदस्य और आश्रित संबंधी, जैसा कि इन नियमों में वर्णित हैं, को निम्नलिखित प्रकार के पास जारी किए जा सकते है :–
1) ड्यूटी पास 2) सुविधा पास, प्रतिनियुक्ति पर रहने के दौरान जारी पास सहित
3) स्कूल पास 4) पोस्ट रिटायरमेंट कोम्प्लीमेन्ट्री पास (मानार्थ पास)
5) विधवा पास 6) आवासीय कार्ड पास
7) विशेष पास

4. ड्यूटी पास :– [नियम–05 व सिड्यूल–I व RBE 18/2011]
मुख्यालय से बाहर ड्यूटी पर जाने हेतु निम्न विवरणानुसार ड्यूटी पास जारी किए जाते है :–

SN	Category	Pay Scale/ Grade Pay	Kind of Pass to which entitled	Entitlements
(a)(i) (ii)	CRB/All Members of RB, FC, CRS & officers who are equal in grade & status. GMs & others officers who directly reported to Railway Board.	80000/- 75500-80000	'Gold Pass'	For Official duty in Indian Railways in any class. (along with family)
(b)(i) (ii)	All Officers in HAG All Officers in SAG	67000-79000 10000/-	'Silver Pass'	Alone in any class or along with family in any class other than 1st AC; or along with family in 1st AC on payment 1/3rd difference.
(C)(i) (ii)	All Officers in Selection Grade Officers with more than 3 yrs service in the Grade	8700/- 7600/-	'Bronze Pass' & 1st A pass holders (with 1st AC authority)	Alone in any class or along with family in any class other than 1st AC; or along with family in 1st AC on payment 1/3rd difference.
(d)	All other Group A & B Gazetted officers	4800 to 7600	'Bronze Pass' & 1st A pass holders	Entitles the holder to travel in any class other than 1st AC along with family.
Note:	(1) All officers can travel on duty in 1st AC Class of Mail/Express Trains on payment of 1/3rd of difference of fare between 1st AC Class and AC Sleeper Class. (2) Entitlement on Duty is subject to a maximum of 4 berths / seats. (3) Entitlement on higher class includes lower class travel as per train accommodation.			

(1) परिवार के लिए वापसी पास :–यदि समूह ए और बी का कोई रेल सेवक अपने दौरे (Tour) के बीच अपने परिवार को पीछे छोड़कर हवाई जहाज या यातायात के किसी अन्य साधन से मुख्यालय को वापस आ जाता है तो उसे उसके परिवार की सुविधा के लेखे पर उन्हे वापस मुख्यालय लाने के लिए वापसी यात्रा पास की अनुमति दी जा सकती है। [अनुसूची–01 का 1]

(2) समूह ए के प्रशिक्षु के परिवार को भी उसके प्रशिक्षण की अवधि में विभिन्न स्थानों के लिए साथ ले जाने पर प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी पास में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–01का 2]

(3) आकस्मिक अवकाश के अलावा अन्य छुट्टी लेने पर ड्यूटी समय के साथ ड्यूटी पास स्वीकार्य नहीं है। [अनुसूची–01 का 09(1)]

(4) आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार की छुट्टी, स्थानान्तरण पर जाने अथवा सेवा से निलंबित, पदच्युत या हटा देने पर, जैसा भी मामला हो, ड्यूटी पास/मेटल पास को कर्मचारी द्वारा जमा कराना होगा।

किन्तु यदि अधिकारी यात्रा अथवा ड्यूटी पर रहने के दौरान सीमित अवधि के लिए औसत वेतन छुट्टी लेते है तो वापसी यात्रा के लिए मेटल पास का उपयोग किया जा सकता है। [RBE-156/2002]

(5) रेल सेवक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपना मेटल पास अथवा ड्यूटी कार्ड पास जमा कराए अथवा यदि खो गया है तो इस पर लगने वाला जुर्माना सेवानिवृति पर कार्यालय छोड़ने से पूर्व या अन्य प्रकार से होने पर जमा कराए। रेल सेवक को पास अनुभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करके उसके समापन भुगतान का बकाया जारी होने से पूर्व संबंधित प्राधिकारी को जमा करा देना चाहिए। [RBE-104/2000]

(6) ड्यूटी पर रहने के दौरान ईएमयू गाड़ी के केब द्वारा यात्रा करने के लिए ड्यूटी कार्ड पास पर आवश्यक पृष्ठांकन किया जाना चाहिए। [अनुसूची–01 का 09(4)]
[नियम–06 और अनुसूची–II]

सुविधा पास :–

छठे वेतन आयोग के क्रियान्वयन पश्चात् रेल सेवकों को सुविधा पास, नीचे दिए गए योग्यता (हकदारी) के अनुसार देय। [RBE 03/2011]

	Category	Class of Privilege Pass and Privilege Ticket Order admissible	Number of Privilege Pass and Privilege Ticket Order admissible		Type of Duty Pass
			Privilege Pass	Privilege Ticket Order	
1.	Group 'A' & Group 'B' (Gazetted)	1 Class 'A'	6 sets per year	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	Ist Class 'A' Pass
2.	Non-Gazetted employees				
(i)	In Grade Pay Rs. 4200/- and above	I Class	1 set per year upto the end of 5th year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	Ist Class Pass
(ii)	In Grade Pay Rs. 2800/-	II Class 'A' Pass	1 set per year upto the end of 5th year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	6 sets per year. In case of those Railway employees who had opted/are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement	IInd Class 'A' Pass

				would be limited to four sets of Privilege Ticket Orders.	

(iii)	In Grade Pay Rs. 1900/- and above but below grade pay Rs.2800/-	One IInd Class 'A' Pass in a year, emaining passes & PTO's of Second/Sleeper class.	1 set per year upto the end of 5^{th} year of railway service. 3 sets per year after 5 years of Railway service.	Railway employees who had opted / are compulsorily governed under the scheme of widow passes entitlement whould be limited to four sets of Privilege Ticket Orders	IInd Class 'A' Pass
(iv)	Employee in Grade Pay Rs. 1800/-	One IInd Class 'A' Pass in a year, emaining passes & PTO's of Second/Sleeper class.			Second/ Sleeper Class Pass

Followong are the revised pay limits for entitlement of Passes/PTO's to runing staff :-[RBE-47/12 & 148/12]

Post	Vth CPC Pay Scale	VIth CPC Grade Pay	Allotted equivalent Band/ Grade Pay Running Allowance	6^{th} CPC Pay after reckoning
			Pay Band	Grade Pay
ALP/Breakman	3050-4500	1900	PB1	2400
Sr.ALP/LP(Shntg)Sr.B.Man	4000-6000	2400	PB1	4200
Goods Guard	4500-7000	2800	PB2	4200
Tower Wagon Driver	4500-7000	2800	PB2	4200
Sr.LP(Stg.)/LP(Goods)/Sr. Goods Guard/Pass Guard	5000-8000	4200	PB2	4600
Sr.LP(Goods)/LP(Pass)/Sr. Pass Guard/Mail Guard	5500-9000	4200	PB2	4600
Sr.LP(Pass)/LP(M/E)	6000-9800	4200	PB2	4600

Note- (A) In terms of the extant instructions the holder of IInd Class "A" pass shall be entitled to travel by AC-3 tier class in trains other than Rajdhani/Shatabdi/Duronto Exp. IInd Class 'A' Pass is of yellow colour.

(B) Rly. Employees having less than 05 years of service & drawing GP 1800/- & above but below 2800/- are entitled for one IInd class 'A' in a year even if they are eligible for only one set of Privilege Pass owing to the length of their service.

(Rly.Bd.L.No. E(W)2008/PS 5-1/38 (Pt.) dt. 04.12.12)

(C) Rly. Employees who are transferred on inter Rly. transfer & those Rly. employees who are medically decategorized to post carrying lower scale of pay with pay protection and are already entitled to 1^{st} class passes, shall continue to draw 1^{st} class passes, irrespective of their eligibility in terms of RBE 03/11. [Rly.Bd.L.No. E(W)2012/PS 5-1/4 dt. 10.09.13(NWR PS 64A/13)]

(1) पुत्र अथवा अन्य आश्रितों के लिए जो 21 साल से ऊपर के है, उन्हे शैक्षणिक सत्र के शुरू में ही स्कूल का प्रमाण पत्र वर्ष में एक बार जमा करवाना चाहिए। फिर भी यदि अध्ययन में व्यवधान आता है, तो उसके लिए तुरन्त पास जारी कर्त्ता प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए। लगातार अध्ययन के मामले में यदि कोई संदेह हो तो प्रमाण पत्र की मांग की जा सकती है। [अनुसूची–II का 2 (क)]

लेकिन जहां पर पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष का होने वाला है तथा जो छात्र (Scholer) नहीं है, वहां पास निम्न अवधि हेतु जारी किया जायेगा :– [RBE-10/2009]

(अ) रेल कर्मचारी को उस अवधि का ही पास जारी किया जाए जिस अवधि में पुत्र या अन्य आश्रित 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हो या

(ब) रेल कर्मचारी को चार माह की पूर्ण अवधि हेतु पास बिना पुत्र को सम्मिलित करते हुए जारी किया जाये।

(2) दो से अधिक आश्रितों को पास/पीटीओ में शामिल नहीं किया जा सकता है। साथ ही ऐसे मामलों में परिचारक को छोड़कर पास/पीटीओ में शामिल व्यक्तियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सीमा तब लागू होगी जब पास/पीटीओ में केवल परिवार के सदस्यों को ही शामिल किया गया हो।

[अनुसूची–II का 3 (ii)]

(3) जब रेल सेवक स्वयं या उसके परिवार का सदस्य या आश्रित दोनों आंखो से अन्धा हो तथा सुविधा पास पर अकेला यात्रा कर रहा हो तो उसके साथ एक सहचर को उसी श्रेणी में जिसमें अन्धा व्यक्ति यात्रा कर रहा हो उसके साथ यात्रा करने की अनुमति होगी। यह सुविधा संबंधित रेलवे के मण्डल चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर देय होगी। [अनुसूची–II का 3 (iii)]

(4) आधा सैट सुविधा पास/मानार्थ पास/विधवा पास और सुविधा टिकट आदेश की वैद्यता को तीन माह से बढ़ाकर पूरे सैट पास की तरह ही वैद्यता (चार माह) संबंधी संशोधित कर दिया गया है। चूंकि अग्रिम आरक्षण 90 दिन से बढ़कर 120 दिन कर दिया गया है अतः रेलवे बोर्ड के पत्र दिनांक 26.03.12 द्वारा पास/पीटीओ की वैद्यता अवधि पांच माह कर दी गई है।

[RBE 82/08, 41/12 & Bd's letter dt, 31.03.15 (NWR PS 11/15)]

(5) सुविधा पास पर पास धारक की इच्छा के अनुसार बीच मार्ग के किसी भी स्टेशन पर यात्रा विराम की अनुमति है। इसके अलावा असामान्य परिस्थितियों के कारण पास धारक द्वारा अनिश्चित यात्रा विराम की इच्छा जताने पर स्टेशन मास्टर, टिकट संग्राहक भी पास पर पृष्ठांकन करके यात्रा विराम की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत है। (RBE 10/2000)

(6) सुविधा पास शुरूआती स्टेशन से गंतव्य स्टेशन की यात्रा के लिए जारी किया जाएगा, लेकिन लम्बे मार्ग पर यात्रा की अनुमति हेतु शर्त है कि :– [अनुसूची–II का 3 (vii)]

(क) गंतव्य स्टेशन (लम्बे मार्ग वाला) सीध मार्ग से 15 प्रतिशत अधिक दूर नहीं होना चाहिए।

(ख) यदि गंतव्य स्टेशन को जाने वाले लम्बे मार्ग से यात्रा सीधे मार्ग की बजाय जल्दी पूरी होती हो तो लम्बी दूरी को शामिल किया जायेगा।

(7) यदि रेल कर्मचारी टी.ए. ड्यूटी अथवा अन्य स्थान पर अस्थायी स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति अथवा किसी अन्य कारण से पास/पीटीओ के आवेदन करने के लिए उपलब्ध नहीं हो तो इन नियमों में वर्णित पारिवारिक सदस्य/आश्रित पास/पीटीओ जारी करने के लिए आवेदन कर सकते है एवं उनके अनुरोध पर इसे जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–II का 3 (viii)]

(8) पास धारक जिसके लिए वह पात्र है (योग्य है) उससे उच्च श्रेणी में, पास की श्रेणी व उच्च यात्रा श्रेणी के बीच के किराए के अंतर का पूर्व भुगतान करके यात्रा कर सकता हैं केवल प्रथम श्रेणी ए–पास व पीटीओ धारक को छोड़कर, जो कि वातानुकूलित प्रथम श्रेणी व वातानुकूलित शयनयान के किराये के अंतर का 1/3 भुगतान करने पर वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। जब पास उच्च श्रेणी में बदला जाता है तो लगेज का फ्री अलाउन्स उच्च श्रेणी के टिकट धारक के समान अथवा हकदार श्रेणी के सुविधा पास पर देय लगेज अलाउन्स, जो भी अधिक हो, के अनुसार रहेगा। एक परिचारक को साथ में फ्री रखने का अधिकार रेल सेवक द्वारा धारी पास की श्रेणी के आधार पर अधिशासित होगा। [अनुसूची–II का 3 (x)]

(9) अविवाहित पुत्री चाहे, कमाती (अर्जन) हो, उसे भी उसके माता–पिता जो दोनों रेल कर्मचारी हैं, के पास लेखे में शामिल किया जा सकता है। बशर्त है कि यदि पुत्री भी रेल कर्मचारी है तो पुत्री के पास लेखे से उसके पास की स्वयं की हकदारी में कमी करने के बाद उसे अविवाहित अर्जन करने वाली पुत्री, जो रेल कर्मचारी नहीं है, की भांति मानते हुए उसके माता–पिता के पास लेखे में शामिल किया जा सकता है।

[अनुसूची–II का 3 (xi)]

(10) यदि पति व पत्नी दोनों रेल कर्मचारी है तथा वे अपने स्वयं के अधिकार से पास व पीटीओ के हकदार हो तो निर्धारित नियमों के अनुसार वे अलग–अलग पूर्ण सैटो की संख्या के साथ पास/ पीटीओ लेने के हकदार होंगे तथा वे दोनों आपस में एक दूसरे के पास/पीटीओ में शामिल हो सकते है। बच्चो को भी मां व पिता दोनों के लेखे पर जारी पास/पीटीओ में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–II का 3 (xii)]

(11) जब किसी कर्मचारी ने एक कलेण्डर वर्ष में उसको देय बकाया सारे पास/पीटीओ ले लिए है तो उसे अगले वर्ष यात्रा शुरू करने के लिए एक सैट पास अथवा/तथा एक सैट पीटीओ जारी किये जा सकते है तथा इस प्रकार जारी किए गए पास/पीटीओ को उसके अगले वर्ष के पास लेखे में से कम कर दिया जाएगा। इस

प्रकार पास/पीटीओ अगले वर्ष शुरू होने 100 दिन से अधिक अवधि पूर्व जारी नहीं किया जायेगा। ये पास/पीटीओ जारी होने की तिथि से पांच माह के लिए वैद्य रहेंगे। [अनुसूची–II का 3 (xiv)]
{RBE-82/08, 07/01,80/11& 41/12, 64/2015}

(12) जब न तो माता–पिता, न ही वयस्क परिवार सदस्य, न ही वयस्क आश्रित संबंधी राजपत्रित रेल कर्मचारी के अवयस्क बच्चों के साथ यात्रा नहीं कर रहा हो तो महाप्रबन्धक के निर्णयानुसार एक नर्स अथवा किसी अन्य व्यक्ति को पास में शामिल किया जा सकता है। अवयस्क बच्चों में पुत्र/ सौतेला पुत्र/दत्तक पुत्र अथवा आश्रित भाई जिसकी उम्र 15 वर्ष से कम हो तथा पुत्री/दत्तक पुत्री अथवा आश्रित बहन जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो शामिल है।[अनुसूची–II का 3 (xvii)(ए)]

(13) पास फार्म निम्नलिखि रंगो में होंगे :– [अनुसूची–II का 3 (xxi)(ए)]

प्रथम श्रेणी "ए"	सफेद
प्रथम श्रेणी	हरा
द्वितीय श्रेणी "ए"	पीला
द्वितीय श्रेणी	गुलाबी

[RBE-77/99 & 88/03]

(14) शारीरिक रूप से विकलांग समूह–ग और घ के रेल कर्मचारी जो वेतन सीमा के अधीन द्वितीय श्रेणी पास के हकदार है, वे उच्च श्रेणी मगर प्रथम श्रेणी से उच्च नहीं, श्रेणी में पास लेने के हकदार होंगे तथा उसी श्रेणी में एक परिचारक को साथ में ले जाने की अनुमति होगी। यह पास उन्हे उनको मिलने वाले कुल सुविधा पास के बदले में दिया जाएगा। इस पास की संख्या एक सैट प्रतिवर्ष होगी चाहे, कर्मचारी प्रतिवर्ष 3 सैट के लिए हकदार हो। यदि पास की हकदारी तीन पास से कम, किन्तु 01 सैट पास के कम नही हो तो परिचारक के साथ प्रथम श्रेणी पास की पहले सैट के लिए अनुमति दी जा सकती है। [अनुसूची–II का 3 (xxv)(1)]

(15) अराजपत्रित शारीरिक रूप से विकलांग रेल कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी पास के हकदार हो जाते है। उन्हे विकल्प देने की अनुमति होती है कि या तो वे उनकी हकदारी के आधार पर सुविधा पास ले या उसी श्रेणी में दो सुविधा पास परिचारक के साथ ले सकते है तथा बचा हुआ एक सैट अभ्यार्पित करवा दें। जब कर्मचारी की हकदारी 3 सैट से कम की है तो परिचारक की सुविधा केवल एक पास के साथ ले सकते है।
[अनुसूची–II का 3 (xxv)(2)]

;16द्ध राजपत्रित शारीरिक रूप से विकलांग रेल कर्मचारी के मामले में उन्हे विकल्प दिया गया है कि या तो वे अपनी हकदारी के अनुसार सुविधा पास ले सकते है या वे उसी श्रेणी में प्रत्येक सैट के साथ परिचारक सहित 3 सैट पास बचे हुए पास के सैट जमा करवाने के बाद ले सकते है। [अनुसूची–II का 3 (xxv)(3)]

नोट :– परिचारक की सुविधा केवल वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी की अनुशंसा पर ही देय होगी तथा रेल कर्मचारी पर लागू अन्य शर्ते रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)82/पीएस–5–1 दिनांक 05.09.1983 के अनुसार रहेगी।

(17) पास/पीटीओ रेल कर्मचारी की एक से अधिक कानूनी रूप से विवाहित पत्नियों के पक्ष में जारी किए जा सकते है, लेकिन शर्त है कि अलग–अलग पास/पीटीओ जारी किए जायेगे तथा इन्हे रेल कर्मचारी के पास खाते में से गिना जायेगा। [अनुसूची–II का 3 (xxvii)]

(18) विवाहित पुत्री को भी पास/पीटीओ में शामिल किया जा सकता है जब उसका पति कम से कम 7 साल से गुम हो तो संबंधित रेल कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा गुम होने की अवधि दर्शाने वाला मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। [अनुसूची–II का 3 (xxviii)]

(19) जब कोई कर्मचारी उसके परिवार या आश्रित के साथ आने/जाने में असमर्थ हो तो वह स्वयं के लिए एक पास का हकदार या तो पहले जाने या पीछे जाने हेतु बाहरी यात्रा/वापसी यात्रा या दोनों के लिए हकदार होगा। बशर्ते कि वह पास जारी करता प्राधिकारी का संतुष्टि हेतु इस प्रकार के साक्ष्य दे कि कर्मचारी अपने परिवार या आश्रित के साथ जाने में अक्षम है। ऐसे मामले में दो बाहरी व दो वापसी यात्रा पास (अर्थात एक बर्हियात्रा व एक वापसी यात्रा पास परिवार या आश्रित संबंधी हेतु एवं एक बर्हियात्रा व एक वापसी यात्रा पास कर्मचारी हेतु) को एक सैट पास माना जाएगा। इन अलग पासों के लिए यथोचित समय सीमा जो एक माह से अधिक नहीं हो लागू रहेगी। यह सुविधा सेवानिवृत रेल कर्मचारियां को देय नहीं होगी।
[अनुसूची–II का 3 (xxxi)]

(20) ऐसे कर्मचारी जो सेवानिवृति/अधिवार्षिता पर है, उसको जारी पास/पीटीओ नियमों के अधीन देय सामान्य उपलब्धता अवधि के लिए जारी किए जा सकते है चाहे ये कर्मचारी की अधिवार्षिता तिथि के आगे भी आ रहा हो। इसमें शर्त है कि कर्मचारी को सेवा के दौरान तथा सेवानिवृति के बाद देय कुल पासो की संख्या उससे अधिक नहीं होना चाहिए जितने वह सेवा के दौरान लेने का हकदार था। [अनुसूची–II का 3 (xxxiii)]

(21) 21 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र/आश्रित भाईयों को जिन्होने अंतिम परीक्षा कर ली है, उनको पास/पीटीओ की अनुमति नहीं है, चाहे कर्मचारी यह प्रमाणित करें कि पुत्र/आश्रित भाई आगे प्रवेश लेकर आगे अध्ययन नियमित रूप से जारी रखेगा। [अनुसूची–II का 3 (xxxv)]

(22) गैर राजत्रित कर्मचारी के मामले में उसकी प्रशिक्षुता अवधि को पास लाभ हेतु अर्हक सेवा माना जाएगा। [अनुसूची–II का 3 (xxxvi)(बी)]

(23) अमान्य विवाह (Void Maggiage) से उत्पन्न बच्चे सभी प्रकार के पासों में शामिल करने योग्य है। [RBE-39/05]

(24) कानूनी रूप से पृथक की गयी पत्नी का भी पास कर्मचारी के अनुरोध पर दिया जा सकता है।

(25) वर्षान्त पास अगले पांच माह के दौरान जारी किया जा सकता है, किन्तु उसकी वैद्यता 31 मई तक ही रहेगी। [RBE-178/93 & 41/12]

(26) समूह–घ कर्मचारी एसीपी के बाद द्वितीय श्रेणी पास का ही हकदार रहेगा और समूह–ग कर्मचारी (एसीपी) योजना के अन्तर्गत समूह–ख/समूह–क में वित्तीय उन्नयन के आधार पर राजपत्रित अधिकारी नहीं होगा। किन्तु समूह–ग कर्मचारी वित्तीय उन्नयन के बाद उसके संशोधित वेतनमान के आधार पर प्रथम श्रेणी पास का हकदार होगा। [RBE-200/02, 6/2011]

(27) स्वैच्छिक सेवानिवृति/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृति में अर्हक सेवा हेतु .5 वर्ष या बकाया सेवा, जो भी कम हो, को पात्रता हेतु जोड़ा जायेगा।

(28) ग्रुप–सी पदों के विरूद्ध नियुक्त 'Trainee' को सिर्फ स्वयं का पास व पीटीओ उस पद या ग्रेड के न्यूनतम वेतन के आधार पर दिया जायेगा जिस पर apprenticeship अवधि पूर्ण होने के पश्चात लगाया जाता है। [Rly.Bd.L.No. E(W)2014/PS 5-6/1 dt. 21.12.14(NWR PS 13A/14)]

<u>भारत/विदेश में प्रतिनियुक्ति के मामले में पास/पीटीओ की हकदारी</u> :– [अनुसूची–II]

1. केन्द्रीय सचिवालय/सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन विभागों को छोड़कर अन्य विभागों मे प्रतिनियुक्ति के दौरान रेल कर्मी को अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए उसी दर से पास/पीटीओ की हकदारी रहेगी, जैसी रेल सेवा में थी। [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति) (i)]

2. केन्द्रीय सचिवालय अर्थात भारत सरकार के मंत्रालय/विभागों के प्रतिनियुक्ति रेल कर्मचारी के लिए पूर्व वेतनमान पर ग्राह्यता की अवधि उनको समय–समय पर दिए गए कार्यकाल के अनुसार रहेगी। [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति) (ii)]

3. रेल कर्मचारी जो राईट्स (RITES), इरकोन (IRCON) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर है, उनको देय लाभ की ग्राह्यता निम्न प्रकार होगी– [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति)(iii)]
(क) वेतनमान 5900–7300 (छठे वेतन आयोग से पूर्व) या उससे ऊपर के पद जिन्हे उच्च पद घोषित किया हुआ है, में दो वर्ष के लिए योग्य रहेंगे तथा किसी अन्य पद पर कार्यरत शेष कर्मचारी तीन वर्ष के लिए पात्र होंगे।

4. जब रेल कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति उपर्युक्त दर्शायी गई सामान्य अवधि से अधिक बढ़ाई जाती है तो समान वेतनमान पर सुविधा पास की सुविधा भी जारी रहेगी, यदि नियोक्ता जारी पास का मूल्य वहन करने के लिए राजी हो। यदि नियोक्ता जारी पास का मूल्य वहन करने के लिए राजी नहीं हो तो उस रेल कर्मचारी को उसकी श्रेणी में निम्नतम स्केल पर सेवानिवृत रेल कर्मचारी पर लागू पास लेने की अनुमति होगी, यद्यपि इस उद्देश्य के लिए उसने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की है। शर्त है कि यदि रेल कर्मचारी उच्च वेतनमान में सुविधा पास लेने का हकदार है, यदि वह उस तिथि को प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि पूर्ण करता है जिसको वह सेवानिवृत होता तो वह उस तिथि को उसे देय पासों के समान श्रेणी के पास लेने का हकदार होगा। [अनुसूची–II(प्रतिनियुक्ति) (iv)]

5. रेल कर्मचारी जो सरकारी आधार पर विदेश सेवा के लिए प्रायोजित है तथा विभिन्न क्रियाकलापों के लिए जिनका आवेदन कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित किया गया है, वे अपनी श्रेणी के सेवानिवृत रेल कर्मचारियों पर लागू निम्नतम वेतनमान पर पास लेने के हकदार होंगे चाहे इस उद्देश्य हेतु उन्होने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी नहीं की है या जब उन्होने न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर ली हो, वे उनकी श्रेणी के सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को देय सुविधा पास की श्रेणी के पास लेने के हकदार होंगे यदि पीछे उनका परिवार रह गया है। दूसरे मामले में अधिकारियों को उनका अनुरोध मिलने पर प्रतिवर्ष 01 पास/पीटीओ लेने की अनुमति होगी। [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति) (vii)]

6. अस्थायी/स्थायी रेल सेवक जिन्होने 3 वर्ष से अधिक की नियमित सेवा पूरी करली है तथा जिनका आवेदन अग्रेषित किया गया है तथा उनका चयन और नियुक्ति केन्द्र सरकार के किसी अन्य विभाग/कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत निकाय में किसी पद के लिए हो गई हैं, उनको रेलवे से भारमुक्ति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक, जब तक उनका धारणाधिकार (लियन) बनाए रखने की अनुमति है, पास/पीटीओ का लाभ दिया जाएगा। [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति) (viii)]

नोट :– उपनगरीय, रहवासीय कार्ड पास, रियायती सीजन टिकट आदि का लाभ उन रेल कर्मचारियों को देय नहीं है, जिनकी प्रतिनियुक्ति गैर रेलवे विभागों में हुई है। [अनुसूची–II (प्रतिनियुक्ति (i)]

<u>स्कूल पास</u> :– [नियम–7 अनुसूची–III]

स्कूल पास रेल कर्मचारी के ऐसे पुत्र/पुत्री को जारी किया जाता है जो किसी पंजीकृत शैक्षिक संस्थान का मूल (bonefide) विद्यार्थी हो। इन नियमों के लिए, स्कूल/कॉलेज से आशय स्कूल अथवा कॉलेज जो शैक्षणिक या व्यवसायिक हो तथा राज्य/केन्द्र सरकार/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो।

[अनुसूची–III का 1 (xi)]

1. रेल कर्मचारी के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा स्थान से कर्मचारी के निवास स्थान तक 3 दिन से अधिक की मान्यता प्राप्त छुट्टियों के दौरान संस्था प्रधान/स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 3 सैट या 6 आधे सैट स्कूल पास प्रति वर्ष जारी किए जा सकते है। [अनुसूची–III का (i)]

2. माता–पिता अथवा संरक्षक को भी स्कूल पास में शामिल किया जा सकता है तथा यह तब जारी किया जाता है जब पुत्र की आयु 18 वर्ष से कम हो (या 18 वर्ष से अधिक होने पर केवल विकलांग पुत्र के लिए) तथा किसी भी आयु की पुत्री के लिए। [अनुसूची–III का (iii)]

3. यदि माता व पिता दोनों रेल कर्मचारी है तो स्कूल पास केवल एक के खाते पर ही जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–III का 8(xi)]

4. माता–पिता सहित सौतेले माता–पिता/संरक्षक को भी पास की बर्हियात्रा/वापसी यात्रा के लिए समान श्रेणी में शामिल किया जा सकता है एवं उसे विद्यार्थी को स्कूल/कॉलेज से छात्र को वापस लाने या छोड़ने के बाद वापस अकेला आने के लिए अलग से पास जारी किया जा सकता है तथा इस प्रकार जारी पास को स्कूल पास के आधे सैट पास के रूप में माना जाएगा अर्थात इसे एक अलग आधे सैट के रूप में गिना जाएगा। यदि परिचारक ही संरक्षक हो तो उसे केवल द्वितीय श्रेणी पास ही जारी किया जाएगा। [अनुसूची–III का (iv)]

5. ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों को, जबकि रेल कर्मचारी प्रथम श्रेणी पास का हकदार नहीं हैं, तब भी उन्हे विशेष मामले के रूप में स्कूल सत्र की शुरूआत में उनके निवास स्थान से देहरादून तथा सत्र के समाप्ति पर देहरादून से निवास स्थान तक प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। यह नियम उनकी प्राधिकृत छुट्टियों के दौरान जाने व आने के लिए समान रूप से लागू रहेगा। इस अवसर पर उनके मार्गरक्षी (स्कूल अध्यापिका) को भी आने व जाने की यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–III का (i) व RBE 136/03]

6. ऐसे विद्यार्थी जो अनुसंधान कार्यो में लगे हुए है तथा वे उत्कृष्टता के आधार को छोड़कर कोई वृतिका/छात्रवृति नहीं ले रहे है तो उन्हे भी स्कूल पास जारी किया जा सकता हैं। [अनुसूची–III का (v)]

7. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश लेने तथा वापस मुख्यालय आने के लिए स्कूल पास जारी किया जा सकता है। [अनुसूची–III का (iv)]

8. परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश फार्म प्रस्तुत करने हेतु जाने, परीक्षा देने तथा वापसी में मुख्यालय लौटने या स्कूल कॉलेज के स्थान से अन्य स्थान पर परीक्षा देने हेतु जाने के लिए स्कूल पास देय है।

[अनुसूची–III का (vi)]

9. स्कूल पास पर बीच मार्ग में यात्रा विराम की अनुमति है यदि पास पर इस आशय का पृष्ठाकंन किया गया हो। [अनुसूची–III का xi (3)]

10. यदि पास/पीटीओ रेल कर्मचारी के मुख्यालय से/को अन्य स्थान हेतु अथवा माता–पिता के निवास के स्थायी पते पर, यदि वह अलग हो, के लिए चाहा गया है या वहां के लिए चाहा गया है जहां माता–पिता गर्मी की छुट्टियों के दौरान अस्थायी रूप से निवास कर रहे हो तो राजपत्रित अधिकारी के अनुमोदन से ऐसा पास जारी किया जा सकता है जो इस प्रकार के अनुरोध पर इस संदर्भ के साथ संतुष्ट होगा कि माता–पिता के लिए अमुक स्थान हेतु पहले ही पास/पीटीओ जारी किया जा चुका है। [अनुसूची–III का xi (4)]

11. स्कूल पाठ्यक्रम द्वारा बनाए गए शैक्षिक शिविर पर यात्रा करने के लिए भी स्कूल पास देय है।

[अनुसूची–III का ix]

12. जुर्माने/दण्ड सहित किसी अन्य लेखे पर रेल कर्मचारी के रोके गए सुविधा पासों का प्रभाव स्कूल पास जारी करने पर नहीं पड़ेगा। [अनुसूची–III का xi (6)]

13. निलम्बन होने पर भी इसका प्रभाव रेल कर्मचारी के स्कूल पास की हकदारी को प्रभावित नहीं करेगी। [अनुसूची–III का xi (7)]

14. सुविधा पास/पीटीओ के अनुसार स्कूल पासों को भी रेल सेवकों के अनुरोध के अनुसार पांच महिने पहले ही जारी किया जा सकता है। बहरहाल, इन पासों पर यात्रा करने के लिए उचित वैद्यता अवधि को पास जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। [RBE-101/11 & 41/12]

15. स्कूल पास दुरन्तों एक्सप्रेस में यात्रा के लिये वैद्य इसके लिये निम्न सील लगाना होगा
'Valid for Journey in the entitled of DURONTO EXPRESS Trains' [RBE-47/2014]

स्कूल पास हकदारी निम्नानुसार रहेगी :– [RBE-145/11]

कोटि	हकदारी
I. समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II. अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(i) ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी
(ii) ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(iii) ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

बहरहाल, ओक ग्रोव स्कूल, झारीपानी में अध्ययनरत रेल कर्मचारियों के बच्चों को, जो साधारणतः प्रथम श्रेणी पास के लिए हकदार नहीं हैं, उन्हे विशेष मामले के तौर पर, स्कूल सत्र के शुरू होने पर उनके घर से लेकर देहरादून तक और स्कूल सत्र के समाप्त होने पर देहरादून से उनके घर तक प्रथम श्रेणी के पास जारी किए जा सकते है। उपर्युक्त उपबन्ध अप और डाउन यात्राओं के लिए प्राधिकृत छुट्टियों के दौरान समान रूप से लागू होगा। ऐसे मौको पर मार्ग रक्षियों (स्कूल अध्यापक) को भी उनकी अप और डाउन यात्राओं के लिए पास जारी किए जा सकते है।

<u>स्कूल कार्ड</u> : [अनुसूची–III]

स्कूल कार्ड पास रेल कर्मचारी की योग्यता (पात्रता) के आधार पर उसके विद्यार्थी पुत्र/पुत्रियों को रेल कर्मचारी के निवास स्थान के नजदीकी स्टेशन से विद्यार्थी के स्कूल/कॉलेज के नजदीकी स्टेशन तक मान्यता प्राप्त संस्थान जहां विद्यार्थी पढ़ता है, का प्रमाण पत्र प्रस्तु करने पर जारी किया जा सकता है। शर्त है कि जो दूरी का विभाजन हो उस पर प्रतिबन्ध है तथा इसे रेलवे द्वारा स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जारी किया जा सकता है। गैर उपनगरीय क्षेत्रों में कर्मचारी के लेखे पर देय सुविधा पास की सामान्य श्रेणी पर ही स्कूल कार्ड पास देय होगा। [RBE-63/2000]

स्कूल पास हकदारी निम्नानुसार रहेगी :– [RBE-145/11]

कोटि	हकदारी
I. समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II. अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(iv) ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी
(v) ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(vi) ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

<u>मानार्थ पास</u> :

किसी रेल कर्मचारी को सेवानिवृति के पश्चात या 20 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद रेल सेवक न रहने की स्थिति में निम्नानुसार मानार्थ पास जारी किए जा सकते है :–

<u>श्रेणी</u>	<u>एक वर्ष में देय पास की संख्या</u>
समूह "ए" एवं "बी"	
"क" 20 वर्ष से अधिक किन्तु 25वर्ष से कम सेवा के साथ	2 सैट प्रति वर्ष

"ख" 25 वर्ष की न्यूनतम रेल सेवा के साथ 3 सैट प्रति वर्ष

समूह "ग"
"क" 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ 1 सैट प्रति वर्ष
"ख" न्यूनतम 25 वर्ष की रेल सेवा के साथ 2 सैट प्रति वर्ष

समूह "घ"
"क" 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा के साथ 1 सैट प्रति वर्ष
{(ASC-35) पत्र सं. ई.(डब्ल्यू) 95 पीएस 5–8/1, आरबीओ–96 का पेज सं. 139}

<u>मानार्थ पास जारी करने की शर्ते</u> :

1. मानार्थ पास रेल कर्मचारी स्वयं, पत्नी/पति, बच्चे और विधवा आश्रित मां (RBE-13/1996) के लिए जारी किया जाता है। इन पर शर्ते वहीं लागू होगी जो रेल कर्मचारी की सेवा के दौरान लागू होती थी। [अनुसूची–iv का (1)]

2. (क) मानार्थ पास उन रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किया जाएगा जिन्हे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया हो।
(ख)मानार्थ पास उन रेल कर्मचारियों को जारी नहीं किया जाएगा जिन्हे 26.10.2005 को या उसके बाद सेवा से निकाल दिया गया हो।
(ग) मानार्थ पास ऐसे रेल कर्मचारियों को जिन्हे 26.10.2005 को या उसके बाद सेवा से बर्खास्त/निष्कासित किया गया हो, यदि वे रेल सेवा पेंशन 1993 के नियम 65 के अनुसार अनुकम्पा भत्ता प्राप्त कर रहे हो तो उन्हे भी जारी किया जाएगा। इस प्रकार के पास उन्हे उस तिथि से देय होंगे, जिस तिथि से उन्हे अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत किया गया हो। [RBE-180/05]

3. एक सेवारत रेल कर्मचारी उसी श्रेणी के मानार्थ पास का हकदार/पात्र होगा, जिस श्रेणी का पास वह सेवा के दौरान उपभोग कर रहा था। [अनुसूची–iv का (ii)]

4. रेल कर्मचारी जो नियमित आधार पर उच्च ग्रेड में पदोन्नत होता है एवं उच्च ग्रेड से ही सेवानिवृत होता है, तो उसे मानार्थ पास भी उच्च पद के अनुरूप ही दिया जाएगा। किन्तु तदर्थ पदोन्नति के मामले में उच्च पद के अनुरूप मानार्थ पास का लाभ उसे तदर्थ/स्थानापन सेवा के तीन वर्ष बाद दिया जाएगा। [RBE-51/95]

5. रेल कर्मचारी के सेवानिवृत वर्ष के दौरान वह एक कलैण्डर वर्ष में जितने सुविधा पास का हकदार है तथा जितने वह ले चुका है, इन दोनों के अन्तर के एकल यात्रा मानार्थ पास का हकदार होगा, किन्तु उसके द्वारा आवेदित मानार्थ पासों की संख्या एक कलैण्डर वर्ष में उसके देय मानार्थ पासों की संख्या से अधिक नहीं होगी। [अनुसूची–iv का (v)]

6. यदि पति व पत्नी दोनों रेल सेवा से सेवानिवृत होते है तो वे एक दूसरे के लेखे पर मानार्थ पास ले सकते है। [अनुसूची–iv का (vi)]

7. जब रेल कर्मचारी स्वयं का उसके परिवार का कोई सदस्य जो मानार्थ पास में शामिल करने के योग्य है तथा दोनों आंखो से अन्धा है तथा अकेला यात्रा कर रहा है तो संबंधित रेलवे के चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कि संबंधित व्यक्ति दोनों आंख से अंधा है, एक परिचारक को मानार्थ पास में शामिल करते हुए अंधा व्यक्ति जिस श्रेणी में यात्रा कर रहा है उसी श्रेणी में परिचारक को अंधे व्यक्ति के साथ यात्रा की अनुमति है। [अनुसूची–iv का (vii)]

8. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई (पी एंड ए) 177 आरटी–46 दिनांक 09.11.1977 में दी गई शर्तो के समान ही दिनांक 31.12.2005 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत पर मानार्थ पास जारी करने हेतु भी 5 वर्ष सेवा, अर्हक सेवा में जोड़ने का लाभ दिया जाएगा। [अनुसूची–iv का (viii)]
इस संबंध में अब यह विनिश्चत किया गया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृति पर मानार्थ पास हेतु अर्हक सेवा में 05 वर्ष जोड़ने के प्रावधान को समाप्त किया जाए। अब 20 वर्ष व अधिक रेल सेवा पश्चात सेवानिवृति पर पूर्ण मानार्थ पास देय होंगे (प्रभावी 01.01.2006 से) (मानार्थ पास 20 वर्ष सेवा पश्चात– ग्रुप–ए व बी = 03 सैट, ग्रुप–सी = 02 सैट व ग्रुप–डी = 01 सैट) [RBE-132/13 & 24/14]

9. रेल सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व गैर रेलवे विभाग/संस्थान में की गई सेवा को पास जारी करने हेतु केवल तब ही गिना जाएगा, जब कि ऐसी सेवा को पेंशन लाभ देने हेतु गणना में लिया गया हो तथा ऐसे मामलो में रेलवे में की गई सेवा सम्बन्धी उनकी योग्यता का निर्धारण करने हेतु उनके द्वारा पूर्व में केन्द्र

सरकार/गैर रेलवे में की गई सेवा की लम्बाई के आधार पर मानार्थ पास जारी करने हेतु वांछित बीस वर्ष सेवा की आधी अवधि का लाभ देय होगा तथा ऐसी स्थिति में न्यूनतम बीस वर्ष की सेवा पर देय मानार्थ पास ही उन्हे देय होंगे। [RBE-61/07 & 65/08]

10. सेवानिवृत रेल कर्मचारी को देय मानार्थ पास का दुरूपयोग होने पर उसे इस प्रकार के पास की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। [अनुसूची–iv का (xiii)]

11. सभी प्रथम "ए"/प्रथम श्रेणी मानार्थ पास धारक अपने साथ एक परिचारक को सुविधा पास के लिए निर्धारित शर्तो के आधार पर द्वितीय श्रेणी/शयनयान में निःशुल्क ले जा सकते है। (प.सं. ई.(डब्ल्यू) 97/पीएस 5–1/4 दिनांक 29.05.97 द्वारा स्पष्ट)। [अनुसूची–iv का (xiv)]

12. प्रथम श्रेणी/ प्रथम "ए" पास धारक वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित शर्तो के आधार पर परिचारक के स्थान पर एक सहचर को साथ ले जा सकते है :– [अनुसूची– iv का (xiv)(ए)]

(क) सहचर की सुविधा केवल उन सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को ही देय होगी जिनकी उम्र 65 वर्ष से अधिक हो।

(ख) सहचर की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब पास धारक/परिवार के योग्य सदस्य शयनयान श्रेणी में यात्रा करेंगे।

(ग) यदि 65 वर्ष से कम आयु के अन्य परिवार के सदस्य पास में शामिल है तो उन्हे शयनयान में परिचर के साथ यात्रा करने की सुविधा की अनुमति नहीं होगी।

(घ) वरिष्ठ नागरिकों को उनके साथ उच्च श्रेणी में परिचारक के साथ किराए के पूर्ण अंतर के भुगतान पर यात्रा करने की अनुमति है।

(ङ) परिचर ले जाने की अनुमति तब ही देय है, जब पास धारक अथवा योग्य परिवार के सदस्य मानसिक/शारीरिक रूप से अशक्त पुत्र/पुत्री के साथ यात्रा कर रहे हो।

(च) निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत सेवानिवृत रेल कर्मी की 70 वर्ष या उससे ऊपर के हैं तथा 1st /1st A मानार्थ पास धारक है, परिचारक को अपने साथ उसी श्रेणी में ले जा सकते है जिसमें यह यात्रा कर रहे है। इस हेतु उन्हे स्लीपर क्लास तथा यात्रा करने वाली श्रेणी के किराए के अन्तर का 1/3 का भुगतान करना होगा। [RBE-164/09]

13. कानूनी रूप से गोद लिया हुआ बच्चा (सेवानिवृति के बाद लिया हुआ) को भी मानार्थ पास में शामिल किया जा सकता है। [अनुसूची–iv का (xv)]

14. कानूनी रूप से तलाक शुदा पुत्री या विधवा पुत्री को भी सेवानिवृत रेल कर्मचारी के मानार्थ पास में आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है। बशर्ते कि वह रेल कर्मचारी के साथ रहती हो तथा इस उद्देश्य हेतु वह आय के मानदण्डो को पूरी करती हो। [RBE-63/03]

15. सेवानिवृत रेल कर्मचारी तथा योग्य परिवार के सदस्यों को फोटो के साथ पहचान पत्र रेल प्रशासन द्वारा जारी किया जाएगा तथा इसे यात्रा के दौरान साथ रखना होगा। [अनुसूची–iv का (xix)]

16. रेल आवास को अनाधिकृत रूप से रोके रखे जाने पर प्रत्येक माह पर एक सैट मानार्थ पास नामंजूर किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु एक कलैण्डर माह में माह के भाग के रूप में 10 से अधिक दिन होने पर इसे पूर्ण माह माना जाएगा। [अनुसूची–iv का (xx)]

17. सेवानिवृत रेल कर्मचारी की आपराधिक/व्यवहारिक वाद, जिसमें सरकार एक पार्टी के रूप में हो, के साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थिति के लिए पास दिया जा सकता है। बशर्ते कि न्यायालय द्वारा गाड़ी से यात्रा हेतु स्वीकृति रेल किराया यात्रा व्यय, यदि कोई मिला हो तो उसे मिलने के 15 दिन के अंदर रेलवे राजस्व में जमा करना होगा। [RBE-142/98]

18. कैलेण्डर वर्ष में देय मानार्थ पास समाप्त होने की स्थिति में सेवानिवृत रेल कर्मी को अगले वर्ष के पास लेखे में एक सैट मानार्थ पास जारी किया जा सकता है। ऐसा मानार्थ पास अगला वर्ष शुरू होने के 100 दिन से अधिक अवधि पूर्व जारी नहीं किया जायेगा तथा वह जारी होने की तिथि से पांच माह के लिए वैद्य होगा। [RBE-80/11 & 41/12]

19. चूंकि पीबी–1 में 1800/– ग्रेड पे के सभी पदो को ग्रुप–सी के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है, अतः इन ग्रुप–सी पदो से सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी स्वतः ही सेवानिवृति मानार्थ पास/विधवा पास हेतु ग्रुप–सी के अनुरूप हकदार होंगे। [Rly.Bd.L.No. E(W)2010/PS 5-8/4 dt. 02.03.12 P No. 216 of RBO 2012]

20. शादीशुदा विकलांग पुत्र अगर रेलकर्मी पर आश्रित है तो मानार्थ पास में सम्मिलित किया जा सकता है लेकिन यह सुविधा उसकी पत्नी को देय नहीं होगी

[Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-1/6 dt. 12.08.15 (NWR PS 56/15)]

21- Entitlement of Passes/P.T.O.'s to the employees having service less than 5 years.
[Rly.Bd.L.No. E(W)2008/PS 5-1/38/(pt.) dt. 04.12.2012)]

22. उधमपुर कटरा खण्ड में सुविधा पास एवं पी.टी.ओ. जारी करना।
[Rly.Bd.L.No. E(W)2012/PS 5-10/1 dt. 10.10.2014]

23. स्काउट गाइड गतिविधियों के लिये विशेष पास जारी करना
[Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-1/4 dt. 27.07.2015]

24. सेवानिवृत / सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी को परिवार पहचान कार्ड जारी करना।
[RBE-12/2016]

25. रेल सेवा (संशोधित वेतन नियम 2016) के अनुसार पास एवं पीटीओ जारी करना।
[Rly.Bd.L.No. E(W)2016/PS 5-1/8 dt. 31.08.2016]

26. उन मामलों में जिनके कर्मचारी एवं उनके पति/पत्नी दोनों शारीरिक रूप से विकलांग है उच्च श्रेणी पासों /मार्गरक्षी की सुविधा का लाभ उठाने के सम्बन्ध में पास जारी करना।
[Rly.Bd.L.No. E(W)2016/PS 5-1/5 dt. 06.04.2017] [RBE-31/2017]

<u>रेल कर्मचारियों की विधवाओं के लिए पास</u> : [नियम–9 अनुसूची–V]

(1) उन रेल कर्मचारियों की विधवाओं को भी पास जारी किया जायगा जो दिनांक 12.03.1987 को या उसके बाद सेवा में थे तथा इस तिथि को या इसके बाद या तो सेवा के दौरान या सेवानिवृति के पश्चात मृत्यु हो गई है तथा उन्होने इस योजना के लिए विकल्प दिया था या इस योजना के अन्तर्गत स्वमेव ही अधिशासित हो गए तथा रेल कर्मचारी की विधवा जो दिनांक 12.03.1987 पूर्व सेवा में थे तथा इसी प्रकार उन रेल कर्मचारियों की विधवा जिन्होने विधवा पास योजना का विकल्प नहीं दिया हो, उन्हे भी पीटीओ के दो सैट के एवज में 250 रू. का एकमुश्त भुगतान करने पर विधवा पास का हकदार माना जायेगा। [RBE-83/98 & 52/01]

(2) ऐसे रेल कर्मचारियों के मामले में जिन्होने विधवा पास योजना के लिए विकल्प दिया हो अथवा वे जो इस योजना के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से अधिशासित है वे सेवा के दौरान एक वर्ष में 4 सैट पीटीओ के हकदार होंगे। [अनुसूची–V का (I)]

(3) ऐसे रेल सेवक जिन्हे दिनांक 12.03.1987 से पूर्व सार्वजनिक निकाय/स्वायत निकाय में स्थायी रूप से समायोजित कर लिया हो तथा उन्हे मानार्थ पासस प्राप्त होता हो उनकी विधवाओं को भी विधवा पास योजना के अन्तर्गत एक मुश्त 250 रू. जमा कराने पर शामिल किया जा सकता है। [RBE-197/99]

(4) <u>वर्ष में देय पासों की संख्या</u> :– मानार्थ पासों की आधी संख्या जो रेल कर्मचारी या तो उसके सेवानिवृति के बाद निधन के समय या सेवा के दौरान निधन के समय लेता था उनके लिए मृत्यु की तिथि या सेवानिवृति की तिथि से नियमानुसार हकदार होगा, बशर्ते :– [अनुसूची–V का (I)]

(i) समूह–घ रेल कर्मचारी जो प्रति एक मानार्थ पास के हकदार (या सिद्धान्त रूप से हकदार) है, की विधवा/विधवाएं भी प्रति एक वर्ष के बाद एक मानार्थ पास की हकदार होगी। [अनुसूची– V का (1)(अ)]

(ii) किसी भी रेल सेवक की विधवा/विधवाएं जिसकी सेवा के दौरान मृत्यु हो गई है वे भी प्रत्येक एक वर्ष के बाद न्यूनतम एक सैट पास की हकदार होंगी, इस प्रकार वह प्रत्येक दो वर्ष में 01 सैट पास की हकदार होंगी चाहे मृत्यु से पहले कर्मचारी की सेवा मानार्थ पास के हकदार होने हेतु आवश्यकता से कम ही पड़ रही हो। [अनुसूची– V का 1(बी)]

(5) एक से अधिक विधवा होने के मामले में विशेष वर्ष में पास बारी–बारी से जारी किए जायेंगे।
[अनुसूची– V का 2]

नोट :– विधवा/उनके आश्रित जो इस प्रकार के पास के हकदार है उन्हे रेल प्रशासन द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा तथा इसे यात्रा के दौरान उन्हे साथ में रखना होगा।

(6) रेल कर्मचारी की सेवानिवृति पर या मृत्यु की तिथि को सैद्धान्तिक रूप से सेवानिवृति की तिथि के रूप में माने जाने पर रेल कर्मचारी को देय पास की श्रेणी के अनुरूप ही विधवा पास देय होंगे। अन्य नियम व शर्ते, जो सुविधा पास पर लागू है समान रहेगी केवल निम्न को छोड़कर :–

(क) इन पासो में आश्रित सम्बन्धियों को शामिल नहीं किया जाएगा, किन्तु मृत रेल कर्मचारी की आश्रित विधवा मां को विधवा के परिवार के सदस्य के रूप में विधवा पास में शामिल किया जाएगा। [RBE-142/2000]

इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्त विधवा अगर रेलकर्मी के रूप में पास लेने का विकल्प देती है तो वह अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त रेलकर्मी की हैसियत से निर्भर रिस्तेदारों का पास प्राप्त करने की हकदार भी होगी इसकी विधवा पास को भी आर.बी.ई. 194/01 के अनुसार पास में सम्मिलित किया जा सकता है। [Rly.Bd.L.No. E(W)2015/PS 5-2/4/Misc. dt. 25.08.15 (NWR PS 60/15)]

(ख) विधवा इस सुविधा की हकदार नहीं होंगी यदि वह किसी अन्य प्रकार से पास सुविधा की हकदार हो जाती है, जैसे उसके पुत्र को रेलवे में रोजगार मिल जाता है या उसको खुद को रेलवे में रोजगार मिल जाता है या वह पुनर्विवाह कर लेती हो। किन्तु विधवा अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकती है, कि या तो वह अपने पुत्र/पुत्री के लेखे पर जारी पास में आश्रित विधवा मां के रूप में शामिल हो या वह स्वयं की हकदारी के आधार पर विधवा पास योजना के आधार पर पास ले सकती है। एक बार विकल्प देने के बाद वह अंतिम तथा अपरिवर्तनीय रहेगा। [RBE-312/09]

(ग) विधवा जो अनुकम्पा आधार पर रेल सेवा में नियुक्त हुई है, वे नियुक्ति के समय अपना विकल्प दे सकती है कि या तो रेल सेवक के रूप में पास की सुविधा लें या वे विधवा योजना के अधीन हकदारी जारी रखेगी। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। सेवानिवृति/रेल सेवा छोड़ने के समय भी विधवा को ऐसा ही विकल्प देना होगा कि मानार्थ पास से अधिशासित होगी। इस प्रकार एक बार दिया हुआ विकल्प अंतिम होगा।
[RBE- 98/03]

(7) प्रथम श्रेणी/प्रथम "ए" विधवा पास धारक वरिष्ठ नागरिक निम्नलिखित शर्तो के आधार पर परिचारक के स्थान पर एक सहचर को साथ ले जा सकते है :–

(i) सहचर की सुविधा केवल प्रथम श्रेणी/प्रथम श्रेणी "ए" विधवा पास पर ही उपलब्ध कराई जाएगी जिस पर रेल सेवक पास नियम (1986) के अनुसार पहले से ही परिचारक को साथ ले जाने की व्यवस्था हो।

(ii) सहचर के साथ ले जाने की सुविधा केवल उन विधवा पास धारकों को देय होगी जो 65 वर्ष से अधिक आयु की हो।

(iii) परिचारक के स्थान पर सहचर को सुविधा की अनुमति केवल तभी होगी जब पास धारक अथवा परिवार का योग्य सदस्य जो 65 वर्ष से अधिक हो तथा सहचर के साथ शयनयार/द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा हो। दूसरे शब्दों में यदि परिवार को कोई दूसरा योग्य सदस्य जो 65 वर्ष से कम आयु का हो तथा पास में शामिल हो तो उसे सहचर के साथ शयनयान/द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति नहीं है।
ऐसे मामलों में पास पर निम्नांकित पृष्ठांकन किये जाने चाहियेः–
''परिचर के स्थान पर सहचर की अनुमति जब पास धारक शयनयान द्वितीय श्रेणी में यात्रा कर रहा है''
[RBE-142/2000 & 14/2001]

(8) यह योजना नैमेतिक मजदूरों पर लागू नहीं होगी जब तक वे नियमित पद पर समायोजित नहीं कर लिए जाते है। इस प्रकार समायोजित किए जाने तक नैमेतिक मजदूरों को एक वर्ष में 4 सैट पीटीओ जो दूसरों को जिन्होने विधवा पास योजना के लिए विकल्प दिया है, के बजाय प्रति वर्ष 6 सैट पीटीओ देय होंगे।
[RBE- 308/89]

(9) किसी पुरूष रेल कर्मी को देय विधवा पास की सुविधा किसी स्त्री रेल कर्मचारी के विद्युर को भी देय होगी। (रेलवे बोर्ड के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)97/पीएस 5–8/3 दिनांक 31.03.1998)
[RBO/98 का पेज सं. 340]

(10) विधवा पास समान पद के रेल कर्मचारी पर लागू शर्तो के समान ही राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में यात्रा करने के लिए वैद्य रहेंगे। पास जारीकर्त्ता प्राधिकारी द्वारा इस आशय के लिए एक विशेष पृष्ठाकंन किया जाएगा जिसमें पास की श्रेणी तथा आवंटित बर्थ की संख्या को भी दर्शाया जाएगा। [RBE- 4/2000]

(11) लापता रेल कर्मचारी/पेंशनर की पत्नी भी उस तिथि से, जब से वह परिवार पेंशन की हकदार हुई हैं, विधवा पास की हकदार होगी।
[R.B..No. E(W)98/PS 5-1/4 Dt. 21.05.1998 रेल सेवक पास नियम का पेज सं. 11.15]

आवासीय कार्ड पास : [नियम–10 अनुसूची–VI]

आवासीय कार्ड पास, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है, उन रेल कर्मचारियों को जारी किया जा सकता है, जो अपने कार्य स्थल से दूर रहते है तथा उन्हे अपने निवास से कार्यस्थल के बीच रेल से यात्रा करनी पड़ती है। वहां पूरे सेक्शन में जहां दिनांक 14.12.1953 से पूर्व इस सुविधा का प्रचलन था अथवा वहां जहां रेलवे बोर्ड द्वारा समय–समय पर जारी विशेष आदेशों द्वारा इस सुविधा को विस्तारित किया गया है।

आवासीय कार्ड पास की हकदारी निम्नानुसार रहेगी :– [RBE-145/11]

कोटि		हकदारी
I.	समूह "क" एवं "ख" (राजपत्रित)	प्रथम श्रेणी "ए"
II.	अरापत्रित समूह "ख" एवं "ग" कर्मचारी	
(i)	ग्रेड पे 4200/– रू. और अधिक में	प्रथम श्रेणी
(ii)	ग्रेड पे 2800/– रू. में	द्वितीय श्रेणी "ए"
(iii)	ग्रेड पे 2800/– रू. से कम में	द्वितीय/स्लीपर श्रेणी

गैर उपनगरीय सेक्शन में :– सुविधा पास के लेखे पर देय हकदारी की सामान्य श्रेणी देय हागी तथा आवासीय कार्ड पास के साथ परिचारक की अनुमति नहीं होगी। [RBE- 63/2000]

विशेष पास :– रेल सेवकों, उनके परिवार के सदस्यों अथवा संबंधियों को, जैसा भी मामला हो, विशेष पास निम्नानुसार जारी किये जा सकते है :–

अनुसूची–VIII [अनुसूची–VIII का नियम–11]
की मद सं. :

(i) चिकित्सा आधार पर।
(ii) खेलकूद के आधार पर।
(iii) छुट्टी अथवा ड्यूटी के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड/चयन बोर्ड में शामिल होने के लिए,
(iv) न्यायालय में उपस्थिति के लिए,
(v) विभागीय अनुशासनिक पूछताछ तथा दस्तावेजों की जांच में शामिल होने के लिए,
(vi) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए,
(vii) मान्यता प्राप्त रेल यूनियन तथा फेडरेशन के कार्यालय पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के लिए जिन्हे रेलवे बोर्ड के समय–समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर पास जारी किए जाते है।
(viii) कर्मचारी कल्याण निधि समिति इत्यादि के सदस्यों के लिए,
(ix) विशेष श्रेणी रेल प्रशिक्षु के लिए,
(x) अन्य प्रशिक्षु के लिए,
(xi) स्काउट और गाईड गतिविधियों के लिए,
(xi(a)) पर्वतारोहरण तथा ट्रेकिंग अभियानों में भाग लेने के लिए,
(xii) सेंट जॉन एम्बुलेन्स बिग्रेड के लिए,
(xiii) निपटान बकाया प्राप्त करने के लिए,
(xiv) मोटर वाहन के लिए,
(xv) रेल सेवा में पहली नियुक्ति पर,
(xvi) सेवानिवृति/मृत होने पर समापन भुगतान पास की स्वीकृति (उसके व्यक्तिगत सामान ले जाने के लिए)
(xvii) रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा पूछताछ (जांच) के लिए,
(xvii)Aरेल संरक्षा आयोग के गैर रेलवे कर्मचारियों के लिए,
(xviii) क्वासी (वत्) रेल संस्थान के कर्मचारियों के लिए,
(xviii)Aअखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जन जाति एसोसिएशन के पदाधिकारियों की मंडल/कारखाना स्तर पर अनौपचारिक बैठकों में उपस्थिति के लिए,
(xix) निलम्बन के अधीन रेल कर्मचारियों को,
(xx) सम्मेलन, कांग्रेस और बैठकों में शामिल होने के लिए,
(xxi) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों को कैम्प में जाने के लिए परिवार पास।
(xxii) रेलवे भर्ती बोर्ड या रेल प्रशासन द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाने पर,
(xxiii) बाल शिविर के साथ जाने संबंधी यात्रा के लिए,
(xxiv) सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए

(xxv) रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति। राष्ट्रीय उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्यों हेतु पास

(xxvi) रिजर्वरिस्टो (Reservists) के परिवार हेतु पास।

(xxvii) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को उनके खिलाफ दायर अनुशासनिक मामले से बचाव की तैयारी के लिए दस्तावेजों के अवलोकन हेतु।

(xxviii) मेडिकल विकोटिकृत कर्मचारी के समायोजन हेतु उपयुक्तता जांच हेतु।

(xxix) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को – अनुशासनिक कार्रवाई में शामिल किसी रेल सेवक के बचाव हेतु पूछताछ आयोग की किसी बैठक में बचाव हेतु या किसी बोर्ड, सम्मेलन समिति या किसी उचित प्राधिकारी के अधीन बुलाई गई कोई जांच या अवैतनिक पद के रूप में किसी सार्वजनिक कर्त्तव्य का निर्वहन करने हेतु।

(xxx) भर्ती/ड्यूटी के समय नैमेतिक श्रमिकों को,

(xxx(a)लाईसेंस पोर्टर जो रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर कुली के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकृत तथा प्राधिकृत है।

(xxxi) रेल दुर्घटना में शामिल पीड़ितों को शुभचिंतकों के साथ ही पीड़ितों के उत्तरजीवियों को मानार्थ पास।

(xxxii) रेल सुरक्षा बल के कुतों को हैण्डलर/निरीक्षक के साथ,

(xxxiii) बाजार पास जारी करना,

(xxxiv) किसी उचित पद पर अभ्यागत व्याख्याता को प्रथम श्रेणी वातानुकूलित मानार्थ पास की स्वीकृति,

(xxxv) क्षेत्रीय पंजीकृत संगठनों और फेडरेशन के पूर्ण कालिक कर्मचारी,

(xxxvi) रेलवे दण्डनायक (मजिस्ट्रेट),

(xxxvii) राजकीय रेलव पुलिस। [पॉलिसी RBE-62/2011 में]

(xxxviii) एआईआरएफ/एनएफआईआर द्वारा क्षेत्रीय मुख्यालय स्टेशन/मंडल मुख्यालय स्टेशन/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित कर्मचारी शिक्षा कार्यक्रम में भाग लेने हेतु।

(xxxviii) ए–रेल मंत्री/रेल राज्यमंत्री/डीएमआर को रेल यात्रा सुविधा,

(xxxix) गैर रेल कर्मचारियों को,

(xl) रेल दावा अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने वाले दावादों को,

(xli) चयनित वेतनामन या उससे ऊपर के सेवानिवृत रेल अधिकारी को (स्वयं व पत्नी हेतु) अनुशासन एवं अपील नियमों के मामले में जांच अधिकारी बनाया गया है उनको या तो जांच आयोजित करने या प्रशिक्षण या इस संबंध में कोई अन्य सरकारी उद्देश्य से यात्रा करनी हो, [RBE- 13/12]

(xlii) डाक्टर/पैरा मेडिकल स्टाफ को रक्तदान/आंख जांच शिविर के लिए,

(A) मृत्यु के मामले में केवल अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पहली बार परीक्षा या साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर निवास स्थान से परीक्षा/साक्षात्कार के नजदीकी स्टेशन तथा वापसी तक द्वितीय श्रेणी पास जारी किया जाएगा। [RBE- 275/99]

(B) कीर्ती चक्र व शौर्य चक्र प्राप्त सैनय कर्मियों को जारी मानार्थ कार्ड पास की वैद्यता। राजधानी/शताब्दी/जन शताब्दी गाड़ियों में भी रहेगी। [RBE- 63/11]

(C) ऐसे अविवाहित सशस्त्र बल के कर्मी, जिसे मरणोपरान्त परमवीर चक्र अथवा अशोक चक्र प्रदान किया गया हो, के माता–पिता प्रथम श्रेणी/द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी के मानार्थ कार्ड पास के हकदार होंगे। [RBE- 65/11]

<u>पास/पीटीओ का खोना, दुरूपयोग एवं कपटपूर्ण उपयोग :–</u> [नियम–13 व परिशिष्ट ख]

1. पास/पीटीओ अहस्तांतरणीय है तथा इन्हे उसी व्यक्ति द्वारा उपयोग में लेना चाहिए जिसके पक्ष में जारी किए गए है। पास धारक की अभिरक्षा में रखने रहने के दौरान पास/पीटीओ खोए नहीं इसके लिए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि पास/पीटीओ खो जाए तो पास धारक को इसकी तुरन्त रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए तथा इसकी एक प्रति पास/पीटीओ जारी करने वाली प्राधिकारी को भी भेजनी चाहिए। [परिशिष्ट "ख" का (i)]

2. पास/पीटीओ को दुरूपयोग करते हुए पकड़े जाने पर रेल कर्मचारी को प्रतिवारक जुर्माना लिया जाएगा। इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए सेवा से बर्खास्तगी या निष्कासन या एक पद नीचे किये जाने के रूप में दिया जा सकता है। [परिशिष्ट "ख" का (ii)]

3. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानार्थ पास का दुरूपयोग करते हुए पाए जाने पर उसे इस प्रकार के पास लेने से वंचित किया जा सकता हैं। [परिशिष्ट "ख" का (iii)]

4. रेल कर्मचारियों को देय सुविधा और ड्यूटी पास दोनों पर यात्रा शुरू करने की तिथि नहीं भरने के मामले में धारक कर्मचारी पर द्वितीय श्रेणी के लिए 10/– रू. तथा प्रथम श्रेणी के लिए 25/– रू. का जुर्माना किया जा सकता है। पास को इसकी समाप्ति तिथि या इसके उपयोग जो भी पहले हो उसे 01 माह के भीतर वापस लौटा देना चाहिए। ऐसे मामलों के संबंध मे जब पास पर यात्रा शुरू करने की तिथि भरने पर चल टिकट परीक्षक द्वारा जुर्माना लगाया गया हो तो निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :–

[परिशिष्ट "ख" का (iv)]

(क) पहले मामला – चेतानवी

(ख) अगले मामला – गुणदोष के आधार पर विचार किया जाएगा, इसे गंभीरता से यिा जाएगा तथा दोषी कर्मचारी के खिलाफ प्रतिकारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. पास के खो जाने के मामले में निम्नलिखित जुर्माना लगाया जा सकता है :–

[परिशिष्ट "ख" का (v)]

(I) रेल कर्मचारी ड्यूटी कार्ड पास जो अभी यात्रा के लिये वैद्य है,यात्राओं की संख्या के निर्धारण के बिना–

(क) गोल्ड/सिल्वर/ब्रोन्ज पास
गोल्ड – 10950/– रू0
सिल्वर – 3028/– रू0
ब्रोन्ज – 2557/– रू0

(RB No. 2011/जी./127/4/मिंट./पीटी–II दि. 12.01.12)

(ख) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 35.00 रू0
(ग) द्वितीय श्रेणी 12.50 रू0
(घ) ट्राली पास 12.50 रू0

सीमित वैद्यता तथा निर्दिष्ठ गंतव्य के साथ वाले ड्यूटी चैक पास का खोना –
(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 10.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 05.00 रू0

सुविधा पास का खोना –
(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 10.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 05.00 रू0

आवासीय कार्ड पास/स्कूल कार्ड पास, बाजार कार्ड पास का खोना –
(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 35.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 12.50 रू0

(II) गैर रेलवे कर्मचारी (i) ऐसे कार्ड पास का खोना जो यात्राओं की संख्या के अनुबन्ध के बिना किसी अवधि के लिए वैद्य हो।

गैर रेल संगठन व्यक्ति को जारी मानार्थ पास
(क) प्रथम श्रेणी 150.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 75.00 रू0

(i) किसी निर्दिष्ठ गंतव्य और सीमित वैद्यता के लिए उपलब्ध चैक पास को खोना–
(क) प्रथम श्रेणी पूरा किराया जो न्यूनतम 10/– रू0 व अधिकतम 50/– रू0 होगा।
(ख) द्वितीय श्रेणी पूरा किराया जो न्यूनतम 05/– रू0 व अधिकतम 30/– रू0 होगा।

राजकीय रेलवे पुलिस/पीएंडटी/रेलवे मजिस्ट्रेट को जारी कार्ड पास –
(क) प्रथम श्रेणी 35.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 12.50 रू0

सेवानिवृत रेल कर्मचारी – मानार्थ पास रेल कर्मचारी –
(क) प्रथम श्रेणी–ए/प्रथम श्रेणी 25.00 रू0
(ख) द्वितीय श्रेणी 10.00 रू0

नोट :–

(1) मान्यता प्राप्त संगठनों/फेडरेशन के पदाधिकारी जो या तो सेवारत या पूर्व रेलकर्मी है, उन्हे सेवारत रेल कर्मी माना जाएगा तथा उपर्युक्त मद सं. (1) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2) जब रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन पास/पीटीओ रोकने संबंधी जुर्माना लगाने का प्रस्ताव हो, जो उपर्युक्त पास/पीटीओ के प्रयोग के संबंध में अनियमितता संबंधी उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाई में भिन्नता हो तो अनुशासन एवं अपील नियमों के अनुसार की जाने वाली प्रक्रिया को ही अपनाया जाएगा।

(3) सेवारत अधिकारी जो ड्यूटी से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है तथा अनुरोध करने के बावजूद मेटल पास नहीं लौटाया है तो उनसे मैटल पास की कीमत के तीन गुणा राशि वसूल की जाएगी। [RBE- 158/99]

<u>अनियमितताओं को माफ करने के लिए महाप्रबन्धक की शक्तियां</u> :– [नियम–4 परिशिष्ट–सी]

रेल सेवक को जारी स्थानान्तरण तथा अंतिम निपटान पास के मामलों को छोड़कर निम्नलिखित मामलों में महाप्रबन्धक अनियमितताओं को माफ कर सकता है। ये शक्तियां किसी निम्न प्राधिकारी को नही दी जानी चाहिए :–

1. वर्तमान नियमों की गलत व्याख्या (भ्रांति) के अधीन उच्च श्रेणी के पास व पीटीओ जारी कर देना।
2. एक वर्ष के दौरान अधिक पास/पीटीओ जारी कर देना।
3. पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व ही एक से अधिक सैट पास जारी कर देना।
4. जब एक आश्रित संबंधी शामिल किया गया हो, तब भी पास/पीटीओ में पांच से अधिक सदस्य शामिल कर देना।
5. एक पास/पीटीओ में दो से अधिक आश्रित संबंधियों को शामिल कर देना।
6. स्कूल/कॉलेज के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना 21 वर्ष या उससे बड़े पुत्र या आश्रित भाईयों को पास/पीटीओ में शामिल कर देना।
7. संरक्षक को स्कूल के लेखे पर पास जारी कर देना जबकि पुत्र की आयु 18वर्ष या अधिक हो। [RBE- 168/01]
8. सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के मानार्थ पास में आश्रित संबंधियों को शामिल कर देना।
9. सेवानिवृत समूह–घ रेल कर्मचारी के मानार्थ पास में बच्चों को शामिल कर देना।
10. लम्बे मार्ग से पास जारी करना।
11. पास जारी कर्त्ता प्राधिकारी एकल यात्रा के मामले में 3 माह तथा वापसी यात्रा के मामले में 4 माह की वैद्यता वाला सही पास जारी करना, किन्तु किसी रेल सेवक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा इसकी उपलब्धता अवधि के बाद भी इसका उपयोग करना।

नोट :– मद सं. 11 में दर्शायी गयी अनियमितता को रेल सेवक के पास खाते में से एक अतिरिक्त पास कम करके माफ किया जा सकता है।